

2022/231

फर्द अहकाम

(नियम 26)

## न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट

श्री महेन्द्रसिंह पुत्र श्री सुन्दरसिंह  
जाति गोयल  
निवासी नयावास नं. 02 वार्ड नं. 31  
जिला सिरौही।  
किस्म मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी  
निदेशक प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा  
बीकानेर।

मुकदमा नं. 29 वर्ष 2022

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
16.05.2022	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक अधिकारी निदेशक प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को दिनांक 08.02.2022 एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया गया कि जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा गंगा कलावंत द्वारा पद का दुरुपयोग कर शिक्षकों को वरिष्ठ होते हुए भी सेटअप परिवर्तन माध्यमिक शिक्षा में नहीं किया। इस मामले में शामिल अन्य दोषी कार्मिकों की भूमिका की जांच करवाकर उक्त सूचना की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रुपये 10 जमा करा दिये हैं। अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी निदेशक प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को दिनांक 08.02.2022 एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया गया कि जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा गंगा कलावंत द्वारा पद का दुरुपयोग कर शिक्षकों को वरिष्ठ होते हुए भी सेटअप परिवर्तन माध्यमिक शिक्षा में नहीं किया। इस मामले में शामिल अन्य दोषी कार्मिकों की भूमिका की जांच करवाकर उक्त सूचना की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यो का अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि लोक सूचना अधिकारी निदेशक प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के अपील अधिकारी जिला कलक्टर सिरौही नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांत की अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	

*Pyalla*  
(डॉ. भैवर लाल)  
जिला कलक्टर, सिरौही

